राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1649/2012

राम बाबू विजय **–अपीलार्थी**

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.11.2012
आदेश की दिनांक : 13.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2003 से 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे और तदुपरान्त वेतन निर्धारण करते हुए पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ भी निर्धारित किये जावें तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् सभी परिलाभ आदि प्रदान किए जावें और शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान करने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर आदेश दिनांक 03.09.1976 के द्वारा हुई थी और उसका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु भेजा गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 16.05.1982 को दक्षता टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की। अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1980 से आदेश दिनांक 19.07.1982 के द्वारा स्थायी घोषित किया गया और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी

दिनांक 04.09.2003 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को डीपीसी द्वारा कार्यालय सहायक के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2007 के द्वारा पदोन्नत किया गया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। तदुपरान्त अपीलार्थी व्यथित होकर उसने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2003 से 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे और तदुपरान्त वेतन निर्धारण करते हुए पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ भी निर्धारित किये जावें तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् सभी परिलाभ आदि प्रदान किए जावें और शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान करने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.09.1976 को हुई थी और दिनांक 30.09.2008 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रदान किया जा चुका है। 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक 06.07.2002 से सेवाकाल की गणना करते हुए चयनित वेतनमान दिनांक 06.07.2009 को देय होता है लेकिन अपीलार्थी दिनांक 30.09.2008 को ही सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। इस कारण तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर आदेश दिनांक 03.09.1976 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 16.05.1982 को दक्षता टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की। अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1980 से आदेश दिनांक 19.07.1982 के द्वारा स्थायी घोषित किया गया और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 04.09.2003 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय

चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 04.09.2003 से प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, विभाग के आदेश दिनांक 03.09.1976 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर दिनांक 03.09.1976 से नियुक्त करते हुए उसे वेतनमान 110–5–160–8–200–10–230 में नियुक्त किया गया, जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से चयनित हुआ और आदेश दिनांक 17.07.1982 के द्वारा अपीलार्थी को स्थायी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के मूल पद पर दिनांक 01.04.1980 से स्थायी किया जाता है और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.09.1976 से गणना करते हुए 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया और इस प्रकार हमारे मत में आगामी नियमानुसार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को जिस प्रकार प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, उसी प्रकार प्रथम नियुक्ति दिनांक से अपीलार्थी की सेवा अवधि की गणना करते हुए 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी नियमानुसार प्रदान किया जावे एवं अपीलार्थी की पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ का उचित निर्धारण करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)